समाहरणालय, बक्सर

(नजारत शाखा)

भाड़े पर वाहन लेने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना :–

सरकार के संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 7644 दिनांक 05.08.2010 के आलोक में बक्सर जिला में पदस्थापित अपर समाहर्त्ता / वरीय उपसमाहर्त्ता एवं अन्य पदाधिकारियों को भाड़े पर वाहन उपलब्ध कराने एवं अन्य कार्य हेतु टाटा सूमो विक्टा / बोलेरो / इण्डिका / इण्डिगो / जाईलो / स्कॉर्पिओं / सफारी एवं अन्य उत्कृष्ट वाहन की आवश्यकता है। इसके लिए निम्नांकित शर्तो के अधीन इच्छुक वाहन मालिकों / फर्म से मुहरबंद निविदा आमंत्रित किये जाते हैं :–

1. भाड़े पर वाहन 12 महीने के लिए लिया जायेगा, जिसका व्यवसायिक निबंधन अनिवार्य है। भाड़े पर दिये जाने वाला वाहन वर्ष 2016–17 से पूर्व का नहीं होना चाहिये, जिसका फिटनेश प्रमाण – पत्र मोटर वाहन निरीक्षक से कराकर प्रस्तुत करना होगा।
2. वाहन मालिक / संबंधित एजेन्सी यदि निजी वाहन निबंधन का निविदा प्रस्तुत करते है तो निविदा सफल होने के उपरान्त वाहन का एक माह के अन्दर व्यवसायिक निबंधन कराना अनिवार्य होगा।
2. भाड़े पर लिये जाने वाले वाहन का दैनिक रख – रखाव (चालक सहित) एवं उसके मरम्मति आदि पर होने वाला व्यय वाहन मालिक / फर्म द्वारा वहन किया जायेगा।
3. वाहन का कागजात, टैक्स / बीमा आदि मोटर यान अधिनियम के अनुसार अद्यतन होना चाहिए। संबंधित कर एवं अन्य शुल्क आदेयता की जिम्मेवारी वाहन मालिक की होगी।
4. निविदादाता द्विलिफाफा प्रणाली के तहत् तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग – अलग लिफाफे में सील बंद कर प्रस्तुत करेंगे।
5. तकनीकी निविदा में निम्न कागजात रहेंगे–

   (क) पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण – पत्र।

   (ख) पैन कार्ड की छायाप्रति।

   (ग) पिछले दो वर्षों का वाहन मालिक का आयकर रिर्टन का साक्ष्य।

   (घ) 20000.00 (बीस हजार) रू0 का डिमान्ड ड्राफ्ट जिला पदाधिकारी, बक्सर के पदनाम से संलग्न होना चाहिए।
6. वित्तीय निविदा में भाड़े पर दिये जाने वाले वाहन का मासिक ईंधन सहित 1000 कि0मी0 तक का दर, 1000 कि0मी0 से अधिक परिचालन पर दर प्रति कि0मी0 एवं ईंधन रहित वाहन का मासिक दर के साथ – साथ प्रतिदिन ईंधन रहित / ईंधन सहित का दर (GST सहित) स्पष्ट रूप से जिला नजारत शाखा या जिले के वेबसाईट पर उपलब्ध विहित प्रपत्र में ही स्वीकार किये जायेगें। ईंधन रहित वाहनों में आपूर्ति ईंधन की गणना नन ए0सी0 वाहन हेतु 12 कि0मी0 प्रति लीटर एवं ए0सी0 वाहन हेतु 10 कि0मी0 प्रति लीटर की दर से की जायेगी।

7. वाहन उपयोग हेतु 24 घंटे संबंधित पदाधिकारी के नियंत्रण में रहेगा। वाहन खराब हो जाने पर वाहन मालिक / एजेन्सी का दायित्व होगा की वे तुरन्त दूसरा वाहन उपलब्ध करायेंगे, अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, तो उस माह का भाड़े का भुगतान नहीं किया जायेगा और जमानत की राशि जब्त करते हुए अन्य कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

8. स्वीकृत निविदादाता को एक सप्ताह के अन्दर सभी वाहनों का आवश्यक कागजात प्रस्तुत करना होगा।

9. उपर्युक्त शर्तो के अनुरूप मासिक न्यूनतम दर के निविदादाता के साथ एकरारनामा किया जायेगा और उन्हें वाहन उपलब्ध कराने का आदेश दिया जायेगा। सेवा संतोषजनक नहीं होने पर राशि की कटौति एवं कभी भी एकरारनामा समाप्त किया जा सकता है।

10. वाहन मालिक को विपत्र प्रत्येक माह ससमय 7वीं तारीख के पूर्व प्रस्तुत करना होगा।

11. इच्छुक वाहन मालिक / फर्म दिनांक 06.06.18 के 2.00 बजे अपराह्न तक जिला नजारत शाखा में मोहरबंद लिफाफे में निविदा समर्पित कर सकते हैं। प्राप्त निविदा दिनांक 06.06.18 के 05.00 बजे अपराह्न में जिला स्तरीय क्रय समिति के समक्ष खोली जायेगी, जिसमें वाहन मालिक स्वयं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि को उपस्थित रहना आवश्यक है।

12. निविदा को बिना कारण बताये किसी भी समय अस्वीकृत करने अथवा संशोधित करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

ह०

जिला पदाधिकारी,
बक्सर।

ज्ञापांक 08-0430 / नजा0 दिनांक 18/05/2018

प्रतिलिपिः— जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, बक्सर को प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः— जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, बक्सर को जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

जिला पदाधिकारी,
बक्सर।

समाहरणालय, बक्सर

(नजारत शाखा)

भाडे पर वाहन हेतु वितीय निविदा हेतु प्रपत्र

क्र0	वाहन का प्रकार		प्रतिदिन ईंधन सहित (GST सहित)	प्रतिदिन ईंधन रहित (GST सहित)	प्रतिमाह ईंधन रहित (GST सहित)	प्रतिमाह ईंधन सहित 1000 कि0मी0 तक (GST सहित)	प्रतिमाह ईंधन सहित 1000 कि0मी0 से अधिक प्रति कि0मी0 (GST सहित)
1	टाटा सूमो विक्टा	AC					
		Non AC					
2	बोलेरो	AC					
		Non AC					
3	इन्डिका	AC					
		Non AC					
4	इन्डिगो	AC					
		Non AC					
5	जाईलो						
6	स्कॉरपिओ						
7	सफारी						
8	अन्य वाहन						